

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 3692/11-सी-FP/UP/Others/30687/2017, लखनऊ, दिनांक: जून 23, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं०-62 पी०ए० के चैनेज 5.924 से 5.959 दौंयी पटरी पर ग्राम ईटगाँव, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं०-821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/30687/2017)

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-16/81-2-2022-800(38)/2022, दिनांक-28.03.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत ने अपने पत्रांक-2489/14-1, दिनांक 16.06.2022 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत द्वारा प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धी अभिलेख दो प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 3692/11-सी FP/UP/Others/30687/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत एवं वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लि०,(एम०डी०) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

o/c